फर्द अहकाम

(नियम क)

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

किस्म मुकदमा:– उ.अ. धारा 22 के अन्तर्गत

मु.नं. 54/2022

सरकार बनाम श्रीमति लाली देवी
W/O हजारीराम।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/07/2022	पटवारी हल्का 7SSM से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का के रिपोर्ट के अनुसार श्रीमति लाली देवी पुत्री श्री हजारीराम जाति जाट निवासी 3SSM ने चक 3SSM(A) के मु.न. 107/14 के किला नम्बर [illegible] में तादादी 0.7587 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड पर सम्वत् 2079 की फसल खरीफ/रबी में नाजायज काश्त जिन्स ग्वार की काश्त कर रखी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जावे तथा हल्का भू. अभिलेख निरीक्षक बेरियांवाली को खड़ी फसल कुर्क करने के आदेश जारी किये जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16/08/2022 को पेश हो। [signature]	
16/08/2022	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित/ नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल प्राप्त हुआ/हल्का पटवारी 7SSM द्वारा दिनांक 19/07/2022 को रिपोर्ट पेश की गई थी जिस पर धारा 22 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया जाकर पत्रावली संधारित की गई। पटवारी तथा गिरदावर [illegible] को शामिल पत्रावली [illegible] प्रपत्र पी-14 किया गया/ [signature]	

तहसीलदार (राजस्व)
खाजूवाला (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Girdhari Singh
Date: 2022.09.13 11:04:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पक्षकार को नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली रहे। पक्षकार द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। भू-अभिलेख निरीक्षक को फसल म्वार कुर्क करने हेतु लिखा गया। परन्तु ILR द्वारा फर्द कुर्की अभी तक पेश नहीं की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी ने सम्वत 2079 की फसल खरीफ मे चक 3SSM(A) के मु०न० 107/14 के कि०न० 23ता25 में 0.7587 हैक्ट० अनक्रमा०ड भूमि पर काश्त कर अतिचार किया है। जिसके फलस्वरूप श्रीमती लाली देवी w/o हजारीराम जाति जाट निवासी 3SSM को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अतिक्रमी को अतिक्रमण करने के आरोप में चक 3SSM(A) के मु०न० 107/14 के कि०न० 23ता25 में 0.7587 हैक्ट० के सरहपड़ता लगान 0.17 रूपये प्रति [illegible] बीघा के अनुसार अतिक्रमण के रकबा 0.7587 हैक्टेयर अनक्रमा०ड के लगान 0.51 का 50गुणा राशि 26रूपये (छब्बीस रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अतिक्रमी से 26 रूपये वसूलने हेतु हल्का पटवारी को लिखा जावे। तथा T.R.A. की भी मांग कायमी हेतु लिखा जावे। अतिक्रमी को अराजीराज भूमि से बेदखल किया जाकर (कब्जा बहक सरकार प्राप्त किया जावे) फसल म्वार को कुर्क किया जाकर फर्द कुर्की हेतु पुनः लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली R.I. हल्का से फर्द [illegible] प्राप्त होने पर नीलाम की जाकर फर्द नीलाम) वास्ते [illegible] प्राप्त होने पर पेशी मे ली जावे।

तहसीलदार (राजस्व)
खाजूवाला (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Girdhari Singh
Date: 2022.09.13 11:04:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner